

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स०सं०:- 1) अ०का० 312/2018-10775

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :- 10-09-2020

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए नियोजित एवं पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अन्य कार्यालय में पदस्थापित नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय स्तर से भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों द्वारा संसूचित किया गया है कि कतिपय जिलों में बन्दोबस्त कार्यालय में हाल के दिनों में निदेशालय से पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कौनूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों को जिले के अन्य कार्यालयों में एवं निर्वाचन के कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर कार्य लिया जा रहा है। साथ ही बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा संविदा अमीनों को भी अन्य कार्यालयों में एवं निर्वाचन कोषांगों में प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

उक्त के संदर्भ में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य योजना अधीन है और माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी निश्चित समयाधीन सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को समाप्त करने के संबंध में शपथ पत्र दायर किया गया है। स्पष्ट है कि इन पदाधिकारियों एवं कर्मियों के अन्य कार्यालय एवं कोषांग प्रतिनियुक्ति से सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य बाधित होगा।

अतः अनुरोध है कि बन्दोबस्त कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को किसी अन्य कार्यालय यथा भू-अर्जन कार्यालय, अंचल कार्यालय आदि सहित निर्वाचन कोषांगों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: - 1) अ०का० 312/2018-10775 पटना, दिनांक :- 10-09-2020

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप